परिशिष्ट-'अ'

[6/8/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2476]

1 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/ जलाशय के क्षेत्र में पंजीकृत मछुआ समिति नहीं है, तब, स्व–सहायता समूह/मछुआ समूह, जो केवल मछली पालन के पेशे के निमित्त गठित हो और मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी के द्वारा मान्य हों, उन्हें निर्धारित प्राथमिकता क्रम के अनुसार पट्टा आवंटित किया जा सकेगा । परन्तु यदि जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र और समीपवर्ती पंचायत में पाये जाने वाले तालाब को सम्मिलित कर 10 हेक्टयर से अधिक का जलक्षेत्र बनता है और यदि पूर्व की समिति के पास पर्याप्त जलक्षेत्र उपलब्ध हो तथा प्राथमिकता क्रम के लोग कोई नवीन समिति गठित करंने के इच्छुक हैं और प्रस्ताव करते हैं, तो उनका विचार प्राथमिकता से किया जावेगा ।

ग– 5 हेक्ट. से 1000 हे0 औसत जलक्षेत्र तक के तालाब/जलाशय पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को ।

प्राथमिकता क्रम वंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/ अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग /सामान्य वर्ग की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को यदि उस प्राथमिकता क्रम की समिति पंजीकृत न हो तो, उक्त प्राथमिकता क्रम की प्राथमिकता के अनुसार स्व–सहायता समूह/ मछुआ समूह को लेकिन स्व–सहायता समूह/समूह को आवश्यक होगा कि एक वर्ष में समिति पंजीकृत करावें ।

(क) 5 हेक्टेयर से 1000 हेक्टेयर औसत जलक्षेत्र के तालाब/जलाशय सर्वप्रथम जलक्षेत्र की ही पंजीकृत मछुआ समिति को प्राथमिकता क्रम पर बंशानुगत मछुआ जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग को आवंटित किये जा सकेंगे ।

(1) परन्तु चाहे वे बंशानुगत मछुआ जाति के सदस्य हो, अथवा चाहे अन्य जाति वर्ग के, उन सदस्यों को समिति से निष्कासित कर दिया जावेगा, जो अक्रियाशील/फर्जी/बिचौलिया होंगे । मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी इसका सूक्ष्म परीक्षण करेगा । जब कभी भी अक्रियाशील/ फर्जी/ बिचौलिया पाये जाने की शिकायत पायी जाने पर, जांच उपरांत उसे निष्कासित कर दिया जावेगा ।

(2) परन्तु, विचारणीय यह होगा कि जलक्षेत्र से संबंधित समिति यदि बंशानुगत जाति के बाहुल्य लोगों की है और उसमें अन्य जाति वर्ग के फर्जी सदस्य सम्मिलित होंगे, तो उन्हें हटा दिया जाकर इच्छुक बंशानुगत मछुआ जाति के सदस्यों को सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा । इसके उपरांत भी वांछित सदस्य संख्या पूरी नहीं हो पाती है, तब प्राथमिकता क्रम की जाति/वर्ग के, वे ही सदस्य सम्मिलित हो सकेंगे ।

(ख) जलक्षेत्र में पंजीकृत सहकारी समिति न होने की अवस्था में पंजीकृत सहकारी समिति के निर्धारित प्राथमिकता क्रम के समान ही मत्स्य पालन के निमित्त गठित और मछली पालन विभाग के जिला अधिकारी द्वारा प्रस्तावित मछुआ सहकारी समिति को ही प्राथमिकता दी जावेगी, लेकिन ऐसे स्व–सहायता समूह/प्रस्तावित मछुआ सहकारी समिति के लिए आवश्यक होगा कि वह पट्टा प्राप्त करने के दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में समिति का पंजीयन कराने का वचन पत्र देगा और तदनुसार पंजीयन करावेगा ।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय